

>

Title: Need to hand over the control of Shahpur Kandi Dam Project in Punjab to Bhakra Beas Management Board.

**डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा):** माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, छियाणा एवं महामणिं राज्यपाल महोदय पंजाब के मध्य दिनांक 15.5.1984 को रोपड थर्मल पावर स्टेशन एवं आनंदपुर साहिब छाईडल परियोजना शुरू करने के बारे में एक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध का पार्ट द्वितीय नांगल रिजरवायर से आनंदपुर साहिब छाईडल परियोजना छाईडल चैनल के संबंध में है। जिसका सब वलाज निम्नानुसार है-

"आनंदपुर साहिब छाईडल परियोजना मुकेरियान छाईडल परियोजना, थीम बांध परियोजना, अपर बाई टोआब चैनल स्टेज-द्वितीय एवं साहपुरकांडी छाईडल परियोजना से छियाणा एवं राजस्थान राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन में दिस्या मांगने के संदर्भ में यह स्वीकार किया गया कि भारत सरकार इस प्रकरण को उच्चतम न्यायालय में राय हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त राय सभी राज्य जिनके मध्य अनुबंध हुआ है, को प्रेषित की जाएगी जो कि उन्हें मान्य होगी।"

अब पैरा (अ) एवं (ब) उच्चतम न्यायालय में भेजे जाने वाले टीओआर के संबंध में हैं।

अतः यह स्पष्ट है कि भारत सरकार इस प्रकरण को उच्चतम न्यायालय में राय हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा प्राप्त राय सभी राज्यों जिनके मध्य अनुबंध हुआ है, को मान्य होगी।

पंजाब सिंचाई व विद्युत हेतु रावी नदी पर शाहपुर कान्डी बैराज का निर्माण करना चाहता है। 1981 के अनुबंध के तहत इस प्रोजेक्ट में जो भी पानी आयेगा, वो सभी राज्यों के मध्य बंटवारे योन्य है। राजस्थान का यह अनुभव रहा है कि पंजाब बीबीएमबी द्वारा आवंटित जल रावी नदी पर निर्मित राजीत सागर बांध से नहीं छोड़ता है। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने शाहपुर कान्डी परियोजना को गट्टीय परियोजना घोषित किया है। गट्टीय परियोजना होने के कारण राजस्थान का यह मत है कि इसका कंट्रोल बीबीएमबी के पास होना चाहिए।



-